

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 26, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010

क्र. डी-15-05-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में, में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 11, 11-क तथा 12 के साथ पठित धारा 79 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के

लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव या जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा:—

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1 नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

15 क-मंडी निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये यानों का अधिग्रहण—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी को, यदि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन निर्वाचन के संबंध में यह आवश्यक प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र तक या मतदान केन्द्र से मतपेटियों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन के लिये कोई यान आवश्यक है या उसकी आवश्यकता पड़ने की संभावना है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे यान का अधिग्रहण कर सकेगा तथा ऐसा और आदेश कर सकेगा, जो उसे ऐसे अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों।

(2) ऐसा अधिग्रहण उस व्यक्ति को, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यान का स्वामी समझा गया हो, या उस व्यक्ति को, जो जिसके कब्जे में यान है, संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जाएगा, जिसे वह संबोधित किया गया है।

(3) जब कभी कोई का उपनियम (1) के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि, उस कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए उपनियम (1) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए ऐसे यान की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए “यान” से अभिप्रेत है कोई यान जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या अन्यथा।

15 ख—प्रतिकर का संदाय—जब कभी नियम 15-क के अनुसरण में किसी यान का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा, जिसकी रकम मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचन हेतु ऐसे यान के लिये नियत की गई दरों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी:

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित हितबद्ध कोई व्यक्ति, संभागीय आयुक्त को प्रतिकर अवधारित किये जाने का आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा. संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

15 ग—यानों के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति—नियम 15-क के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश की तामील—

(क) जहां कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित किया गया है कोई निगम या फर्म हो वहां यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में,

(ख) जहां आदेश किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया है वहाँ—

(एक) आदेश व्यक्तिगत रूप से सौंपकर या निविदत्त करके, या

(दो) सम्यक् अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, या

(तीन) यदि व्यक्ति नहीं मिल सके वहां आदेश की एक अभिप्रमाणित प्रति उसके कुटुम्ब के किसी व्यस्क सदस्य को देकर या ऐसी प्रति उस परिसर के जिसमें कि उसका अंतिम रूप से निवासरत रहना या कारबार करना या अभिलाभ हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्य करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर, तामील की जाएगी।

15 घ—संबंधित किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति, नियम 15-क के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

2. नियम-22 में, उपनियम (1) में, प्रथम पैराग्राफ के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक पीठासीन अधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिये उतने मतदान अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने कि वह आवश्यक समझे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

क्र. डी-15-5-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Dated the 7 December 2010

D-15-05-2010-XIV-3.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rules, 1997, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 79 read with sections 11, 11-A and 12 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Act,

for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. After rule 15, the following rules shall be inserted, namely:—

15A. Requisition of vehicles for Mandi election purposes.

(1) The District Election Officer may, if it appears to him necessary in connection with election under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 that any vehicle is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force for Maintaining law and order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, by order in writing requisite such vehicle and may make such further order as may appear to him to be necessary and expedient in connection with such requisition.

(2) Such, requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of the vehicle and such order shall be served on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any vehicle is requisitioned under sub-rule (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such vehicle is required for any of the purposes mentioned in sub-rule (1).

Explanation.—For the purposes of this rule “vehicle” means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

15 B. Payment of compensation.—Whenever in pursuance of rule 15A any vehicle is requisitioned, there

shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the basis of the Rate fixed by the Chief Electoral Officer for such vehicle for the State Assembly Elections:

Provided that any person interested, being aggrieved by the amount of compensation determined by District Election Officer, may apply within thirty days from the date of issue of the order determining the compensation to the Divisional Commissioner whose decision thereon shall be final.

15 C. Manner of serving order of requisition of vehicles.—An order of requisition under rule 15 A shall be served,

- (a) where a person to whom such order is addressed is a corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in rule 2 of Order XXIX or rule 3 of Order XXX, as the case may be, of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908)
- (b) where a person to whom such order is addressed is an individual,
 - (i) personally by delivering or tendering the order; or
 - (ii) by registered post with acknowledgment; or
 - (iii) if a person cannot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult member of his family, or by affixing such on some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business, or personally worked for again.

15 D. Penalty for contravention of any order regarding.—If any person contravenes any order made under rule 15A, he shall on conviction, be punished with fine which may extend to rupees two hundred.”.

2. In rule 22, in sub-rule (1), for the first paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:

“(1) The District Election Officer shall appoint a Presiding Officer for each polling station and such Polling Officer or Officers to assist the Presiding Officer, as he deems necessary.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
पर्यावास भवन, खण्ड-1, प्रथम तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010

संकल्प

क्र. 30979-माअआ-स्था-10.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जो 2006 का संशोधित अधिनियम, 43) की धारा 29 सहपठित धारा-10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, एतद्द्वारा, राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

- (1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—इन विनियमों का नाम “मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2010 है.
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- (3) विनियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 है.
- (4) विनियम 2 के उप-खण्ड-(घ) के अंत में उप-खण्ड (ड) निम्नानुसार जोड़ा जाए :-
(ड) “खंडपीठ” से तात्पर्य है एकल अथवा अधिक सदस्यों की खण्डपीठ.
- (5) विनियम 8(1) की दूसरी और तीसरी पंक्ति में “के समक्ष” के बाद “इस उद्देश्य के लिये गठित एक सदस्यीय खंडपीठ” को विलोपित कर इन शब्दों के स्थान पर “सदस्य” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए.
- (6) विनियम 8(6) की प्रथम पंक्ति में, शब्द “अध्यक्ष” को हटाकर उसकी जगह शब्द “सदस्य” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (7) विनियम 8(7) की प्रथम पंक्ति में, शब्द “अध्यक्ष” को हटाकर उसकी जगह शब्द “सदस्य” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (8) विनियम 8 के वर्तमान उप-खण्ड(8) को विलोपित कर उसकी जगह निम्नलिखित उपखण्ड (8) को प्रतिस्थापित किया जाए.—

“(8) (क) संबंधित प्राधिकारी की टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात, प्रकरण के गुणदोषों पर एक विस्तृत टीप सदस्य/राज्य आयोग के विचारार्थ तैयार की जाएगी, जो या तो प्रकरण का निराकरण कर सकते हैं

अथवा संज्ञान ले सकते हैं और जहां संज्ञान लिया गया है, वहां प्रकरण सदस्य/राज्य आयोग अथवा खण्डपीठ के समक्ष निम्न विधि से प्रस्तुत किया जाएगा :-

- (i) जहां सदस्य/राज्य आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया है, वहां प्रकरण सदस्य/राज्य आयोग के समक्ष आगे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (ii) जहां सदस्य किसी भी प्रक्रम पर इस मत का है कि प्रकरण की सुनवाई एक खण्डपीठ द्वारा की जानी चाहिए, वहां इसे एकल सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (iii) जहां सदस्य किसी भी प्रक्रम पर इस मत का है कि प्रकरण की सुनवाई एक से अधिक सदस्यों वाली खंडपीठ द्वारा की जानी चाहिए, वहां उसे अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो प्रकरण आदेश के लिये राज्य आयोग के समक्ष रखा जाएगा तथा प्रकरण को अध्यक्ष/राज्य आयोग के आदेश के अनुसार सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (iv) जहां किसी प्रकरण की सुनवाई की तिथि को केवल एक सदस्य उपलब्ध है और प्रकरण की सुनवाई एक से अधिक सदस्यों की खंडपीठ द्वारा की जानी हो, वहां प्रकरण की सुनवाई एकल सदस्यीय खंडपीठ द्वारा की जाएगी और कार्यवाही को सिर्फ इस आधार पर निष्प्रभावी नहीं माना जाएगा कि एकल सदस्यीय खंडपीठ ने मामले पर आंशिक अथवा अंतिम रूप से विचार किया है.
- (ख) सामान्यतः निम्नलिखित प्रकरणों की सुनवाई एक से अधिक सदस्यों वाली खंडपीठ द्वारा की जाएगी:—
- (i) ऐसा प्रकरण जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 176 (1ए) की अंतर्गत जांच की जाना अपेक्षित हो.
 - (ii) किसी व्यक्ति के साथ मुठभेड़ होना अभिकथित हो.
 - (iii) लोक महत्व का कोई मामला : परन्तु ये सभी मामले एक से अधिक सदस्य वाली खंडपीठ को तभी भेजे जाएंगे जब प्रतिवेदन अथवा जांच रिपोर्ट और प्रासंगिक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हो गये हों.

- (iv) जहां, किसी भी प्रक्रम में, प्रकरण पर एक से अधिक सदस्य वाली खंडपीठ द्वारा विचार किया गया हो.
- (ग) सदस्य/राज्य आयोग के आदेश के बिना कोई भी प्रकरण सुनवाई के लिए एकल अथवा एक से अधिक सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.
- (9) विनियम 18 (अ) के उपखंड (ग) के आगे निम्नलिखित उपखंड (घ) को जोड़ा जाये:—
- (घ) किसी प्रकरण के किसी भी प्रक्रम में राज्य आयोग द्वारा पारित अंतिम अनुशंसा को स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उसका कभी भी विनिष्टिकरण नहीं किया जाएगा. इसे कम्प्यूटर में भी सुरक्षित रखा जाएगा.
- (10) विनियम 19 के बाद निम्नलिखित विनियम 20 जोड़ा जाये:—
20. स्पष्टीकरण, शंकाओं को दूर करने अथवा नियमों एवं विनियमों के अनुरूप आयोग द्वारा सुचारू रूप से कार्य किये जाने के लिये, अध्यक्ष/राज्य आयोग समय-समय पर निर्देश जारी करने के लिये समक्ष होंगे.
- RESOLUTION**
- In exercise of powers conferred by Section 29, read with sub-section (2) of Section 10 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (as amended by Act 43 of 2006), the State Human Rights Commission hereby makes the following amendments in the State Human Rights Commission (Procedure) regulations 1996:—
1. **Short title and Commencement.**—(1) These Regulations may be called the State Human Rights Commission (Procedure) Amendment Regulation, 2010.
 2. They shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.
 3. Regulation means the Madhya Pradesh State Human Rights Commission (Procedure) Regulation, 1996.
 4. Add the following as sub-para(e) at the end of sub-para(d) of Regulation 2:—
- (e) “Bench” means a Bench comprising of one or more members.
5. In the 2nd and 3rd line of Regulation 8(1) after the words “before a”, the words “Bench of one member constituted for the purpose”, be omitted and in place of these words, the word “Member” shall be substituted.
 6. In the 1st line of Regulation 8(6), the word “Chairperson” shall be omitted and the word “Member” shall be substituted.
 7. In the 1st line of Regulation 8(7) the word, “Chairperson” shall be omitted and the word “Member” shall be substituted.
 8. The existing sub-para (8) of Regulation 8 shall be omitted and the following sub-para (8) shall be substituted:—
- (8) (a) On receipt of the comments of the concerned authority, a detailed note on the merits of the case shall be prepared for consideration of the Member/State Commission, who may either dispose of the case or take cognizance and where the cognizance has been taken, the case shall be placed before the Member/State Commission or Bench in the following manner :—
- (i) Where cognizance is taken by the Member/State Commission, the case shall be placed before Member/State Commission for further consideration;
 - (ii) Where the Member, at any stage, is of the opinion that the case should be heard by a Bench, it shall be placed before the Bench of one Member;
 - (iii) Where the member, at any stage, is of the opinion that the case should be heard by the Bench of more than one member, the case shall be referred to the Chairperson and if the post of Chairperson is lying vacant, the case shall be placed before the State Commission for orders and the case shall be placed for hearing before the Bench in accordance with orders of Chairperson/State Commission;
 - (iv) Where only one Member is available on the date of hearing of a case and the case is to be heard by the Bench of more than one Member, the case shall

be heard by the Bench of one Member and the proceedings shall not vitiate only on this ground that the Bench of one Member considered the matter partially or finally.

(b) Ordinarily, the following cases shall be heard by the Bench of more than one Member:—

- (i) The case in which an enquiry is supposed to be conducted u/s 176 (1A) of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (ii) Any encounter of a person is alleged to have taken place.
- (iii) Any matter of public importance;

Provided that these matters shall be sent to the Bench of more than one Member only after report or enquiry report and relevant important papers have been received.

- (iv) Where, at any stage, a case is considered by the Bench of more than one Member:

(c) No case shall be placed before a Bench of one Member or more than one Member for hearing without the orders of Member/State Commission.

9. Add the following sub-para (d) after sub-para (c) of the Regulation 18(A) :—

(d) Final recommendation passed by the State Commission in a case at any stage, shall be kept as permanent record and shall not be eliminated for ever. It shall also be preserved in computer.

10. Add the following Regulation 20 after the Regulation 19:—

20. For clarification, removal of doubts or proper functioning of the Commission in accordance with the Rules and Regulations, the Chairperson/State Commission shall be competent to issue directions from time to time.

डी. के. पुराणिक, रजिस्ट्रार (लॉ)